171, पुराना मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद–211002

सं0 **16785** /दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2017–18

दिनांकःइलाहाबादः नवम्बर **30** , 2016

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल शाप तथा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर के थोक अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 06/2016/427 ई–2/तेरह–2016–56/2015 दिनांक 17–02–2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन सुसंगत नियमावलियों के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न शर्तो के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(क) **दुकानों की संख्या में वृद्धि** :– वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए देशी शराब व विदेशी मदिरा की दुकानों तथा माडल शाप की प्रदेश की वर्तमान संख्या में 15 प्रतिशत तथा बीयर की प्रदेश की वर्तमान दुकानों की संख्या में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि आबकारी आयुक्त के स्तर से की जा सकती है। इससे अधिक की वृद्धि की आवश्यकता होने पर शासन की अनुमति से दुकानों का सृजन किया जायेगा।

(ख) **देशी/विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों तथा माडल शाप का व्यवस्थापन** :–

1. वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु विशिष्ट मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) के जनपदों की वर्तमान समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन ''**नवीनीकरण**'' के माध्यम से किया जायेगा तथा वर्ष 2016–17 के अनुज्ञापी को वर्ष 2017–18 हेतु नवसृजित दुकानों के लिये निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना होगा। इस हेतु एकान्तिक विशेषाधिकार के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र आयुक्तालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

2. वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु विशिष्ट मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) के अलावा शेष आगरा, वाराणसी, गोरखपुर एवं लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) जोन के जनपदों की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन ''**नवीनीकरण**'' के माध्यम से किया जायेगा। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं हो पायेगा, उनका तथा नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु आवेदन पत्र जनपद स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3. नवीनीकरण आवेदन पत्रों पर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करते हुये दुकानों का नवीनीकरण किया जायेगा तथा दुकान के नवीनीकरण की सूचना संबंधित अनुज्ञापी को निर्धारित तिथि तक दी जायेगी।

4. देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों के वर्तमान व्यवस्थित एम0जी0क्यू0 (36% v/v) में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये 4% की वृद्धि की गई है। इस निर्धारित वृद्धि के अनुसार जनपद के वार्षिक व्यवस्थित एम0जी0क्यू0 में वृद्धि कर जिला आबकारी अधिकारी वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु आबकारी नीति के अनुसार देशी मदिरा की दुकानों का वार्षिक एम0जी0क्यू0 निर्धारित करेंगे। इस प्रकार निर्धारित एम0जी0क्यू0 में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित प्रति बल्क लीटर बेसिक लाइसेंस फीस रू0 25/– से गुणा करके दुकान की वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस आगणित की जायेगी जो नियमानुसार देय होगी। वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस के 1/10 धनराशि के बराबर धरोहर राशि आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में देनी होगी। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) की दर रू0 226/–प्रति बल्क लीटर की दर से एम0जी0क्यू0 में गुणा करके दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) आगणित की जायेगी, जो नियमानुसार अदा करनी होगी। वार्षिक लाइसेंस फीस के 1/10 धनराशि के बराबर प्रतिभूति धनराशि भी नियमानुसार जमा करनी होगी।

5. वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रचलित की गई तथा वित्तीय वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 में प्रचलित 25% v/v तीव्रता की विशेष श्रेणी की देशी मदिरा का प्रचलन वर्ष 2017–18 में भी यथावत रहेगा। इस विशेष श्रेणी की मदिरा की एम.आर.पी. रु0 26 प्रति पौवा (200एम.एल.) निर्धारित की गयी है। इस श्रेणी की देशी मदिरा का उठान दुकान के निर्धारित मासिक एम.जी.क्यू. के अतिरिक्त अनुमन्य होगा। यह मदिरा देशी शराब दुकान के मासिक एम.जी.क्यू. के 10 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत बल्क लीटर में संदर्भगत माह के अंदर ही उठायी जा सकेगी। उक्त मात्रा बल्क लीटर में निर्धारित मासिक एम0जी0क्यू0 का बल्क लीटर

न हो 10 प्रतिशत होगी तथा 36 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की मदिरा को 25 प्रतिशत में समानुपातिक रुप से परिवर्तित कर उसका 10 प्रतिशत नहीं होगी। इस विशेष श्रेणी की देशी मदिरा के उठान में निहित प्रतिफल शुल्क की धनराशि का समायोजन उक्त दुकान की लाइसेंस फीस के सापेक्ष नहीं किया जायेगा।

6. विदेशी मदिरा दुकान की वर्ष 2016–17 हेतु व्यवस्थित वार्षिक लाइसेंस फीस में वर्ष 2017–18 हेतु कोई वृद्वि नहीं की गई है। अतः वर्ष 2016–17 हेतु विदेशी मदिरा दुकान की वार्षिक व्यवस्थित लाइसेंस फीस को उक्त विदेशी मदिरा दुकान की वर्ष 2017–18 हेतु लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। लाइसेंस फीस की 1/10 भाग के बराबर (न्यूनतम रु0 5000) धरोहर धनराशि आवेदन के समय एवं निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (न्यूनतम रु0 5000) नवीनीकरण/चयन के बाद नियमानुसार जमा करनी होगी।

7. बीयर दुकान की वर्ष 2016–17 हेतु व्यवस्थित वार्षिक लाइसेंस फीस में वर्ष 2017–18 हेतु कोई वृद्वि नहीं की गई है। अतः वर्ष 2016–17 हेतु बीयर दुकान की वार्षिक व्यवस्थित लाइसेंस फीस को उक्त बीयर दुकान की वर्ष 2017–18 हेतु लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। लाइसेंस फीस की 1/10 भाग के बराबर (न्यूनतम रु0 5000) धरोहर धनराशि आवेदन के समय एवं निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (न्यूनतम रु0 5000) नवीनीकरण/ चयन के बाद नियमानुसार जमा करनी होगी।

8. **लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान :–**

(क) नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थित दुकानों के संबंध में :– देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप्स के माह मार्च–2017 से पूर्व नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थित होने वाली दुकान का अनुज्ञापी लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस की **आधी धनराशि आवेदन करने के समय जमा** करेगा तथा प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग नवीनीकरण के पश्चात् 10 कार्य दिवसों के भीतर जमा करेगा। ऐसा अनुज्ञापी अवशेष लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति धनराशि चलित आबकारी वर्ष के 15 मार्च तक जमा करेगा।

(ख) लाटरी/आफर के माध्यम से व्यवस्थित दुकानों के संबंध में :– यदि किसी आवेदक को देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप्स के लाइसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है, तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के **तीन कार्य दिवसों के भीतर** लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के 10 कार्य दिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें।

(ग) लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान समय से न करने पर कार्यवाही :– लाटरी द्वारा अथवा नवीनीकरण द्वारा लाइसेंसधारी के रुप में चयनित आवेदक/अनुज्ञापी यदि उपरोक्तानुसार विहित अवधि में लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसका चयन/नवीनीकरण निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि यदि उसके द्वारा जमा की गई हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

9. वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों के आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस रू0 11,000 प्रति आवेदन पत्र एवं माडल शाप्स के लिए प्रोसेसिंग फीस प्रति आवेदन पत्र रू0 12,000/– निर्धारित की गयी है। इस प्रोसेसिंग फीस पर नियमानुसार वैट व अन्य कर भी अतिरिक्त रुप से देय होंगे।

10. देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के लिये वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु नवीनीकरण फीस की दर प्रति दुकान रुपये में निम्नवत निर्धारित की गई है:–

क सं0	निकाय	देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	बीयर	माडल शाप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिये**	60,000	70,000	55,000	75,000
2	**नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिये**	55,000	60,000	45,000	65,000
3	**नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिये**	45,000	45,000	28,000	45,000
4	**ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिये**	19,000	23,000	13,000	35,000

11. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए निकायवार नवसृजित देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस के निर्धारण हेतु न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0) एवं नवसृजित विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकान की न्यूनतम लाइसेंस फीस का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :–

	लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (36 प्रतिशत वी/वी) बल्क लीटर में	लिए निर्धारित विदेशी मदिरा दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस (रु0 में)	लिए निर्धारित बीयर दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस (रु0 में)
नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	26,600	9,85,000	1,95,000
नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	19,000	3,35,000	1,05,000
नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	11,500	1,60,000	60,000
ग्रामीण	6,600	85,000	55,000

12. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए माडल शाप्स की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निधारित की गयी है :–

निकाय	लाइसेंस फीस (रू0 में)	प्रतिभूति धनराशि (रू0 में)
1. नगर निगमों एवं नोएडा के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी को छोड़कर)	39.70 लाख	4.00 लाख
2. अन्य स्थानों पर स्थित माडल शाप्स के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी सहित)	14.55 लाख रूपये या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय निर्धारित/व्यवस्थित सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, परन्तु यह फीस 39.70 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी।	2.00 लाख

उपरोक्त के अतिरिक्त माडल शाप्स पर मदिरापान की सुविधा अनुमन्य करने की फीस रु0 1,00,000 वर्ष या वर्ष के भाग के लिये निर्धारित है।

(ग) **देशी शराब की थोक आपूर्ति के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण** :–

1. वर्ष 2016–17 के लिये व्यवस्थित देशी शराब की थोक आपूर्ति के सी0एल0–1बी एवं सी0एल0–1सी के समस्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु नवीनीकरण के माध्यम से किया जायेगा।
2. प्रत्येक सी0एल0–1बी अनुज्ञापी को उक्त जोन के प्रत्येक जनपद हेतु अलग–अलग स्वीकृत सी0एल0–1सी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
3. देशी शराब की थोक आपूर्ति के अनुज्ञापन (सी0एल0–1बी एवं सी0एल0–1सी) के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त,उ0प्र0 के इलाहाबाद स्थित कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।
4. उपरोक्त अनुज्ञापनों के वर्ष 2017–18 के नवीनीकरण हेतु लाइसेंस फीस, नवीनीकरण फीस एवं अन्य देयताएं निम्नवत् निर्धारित हैः–

(क) **सी0एल0–1बी** **रु0 प्रति अनुज्ञापनः–**

मद का नाम	**वर्ष 2017–18**
नवीनीकरण फीस **(एक मुश्त आवेदन के समय)**	रु0 5.00 लाख
लाइसेंस फीस	रु0 15.10 करोड़
प्रतिभूति धनराशि **(एक मुश्त आवेदन के समय)**	रु0 1.51 करोड़

आवेदन के समय	रु0 5.10 करोड़
जून –2017 तक	रु0 5.00 करोड़
सितम्बर–2017 तक	रु0 5.00 करोड़

(ख) सी0एल0–1सी	**रु0 प्रति अनुज्ञापनः–**
नवीनीकरण फीस	30,000
प्रतिभूति धनराशि	22,500
लाइसेंस फीस	2.25 लाख

उपर्युक्त धनराशियॉ एक मुश्त आवेदन के समय जमा की जायेंगी।

(घ) विदेशी शराब की थोक आपूर्ति के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण :–

1. वर्ष 2016–17 के लिये व्यवस्थित विदेशी शराब की थोक आपूर्ति के एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु नवीनीकरण के माध्यम से किया जायेगा।
2. विदेशी शराब की थोक आपूर्ति के एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त,उ0प्र0 के इलाहाबाद स्थित कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।
3. यदि एफ0एल0–2 अनुज्ञापी चाहे, तो एफ0एल0–2बी अनुज्ञापन प्राप्त करके एक ही परिसर से विदेशी मदिरा के साथ ही बीयर की भी बिक्री कर सकता है।
4. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन एफ0एल0–2 की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

क्रम संख्या	अनुज्ञापन वर्ष के ठीक पूर्व के वर्ष में जनपद में विदेशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित विदेशी मदिरा की बोतलों (750 एम.एल.) की संख्या	वर्ष 2017–18 हेतु निर्धारित लाइसेन्स फीस (रूपये में)
1	7,00,000 बोतलों तक	6.70 लाख
2	7,00,000 से अधिक 15,00,000 बोतल तक	13.35 लाख
3	15,00,000 से अधिक 25,00,000 लाख बोतल तक	26.65 लाख
4	25,00,000 से अधिक 30,00,000 बोतल तक	39.95 लाख
5	30,00,000 बोतल से अधिक	53.25 लाख

स्पष्टीकरण :–

1. उपरोक्तानुसार उपभोग का आगणन मुख्यालय में उपलब्ध अन्तिम मास तक के उपभोग विवरण के आधार पर किया जायेगा।
2. अनुज्ञापन वर्ष का तात्पर्य उस वर्ष से है, जिस वित्तीय वर्ष के लिये अनुज्ञापन दिया गया है।
3. अनुज्ञापन वर्ष के ठीक पूर्व के वर्ष का तात्पर्य, जिस वित्तीय वर्ष के लिये अनुज्ञापन दिया गया है, उसके ठीक पूर्व के वर्ष से है।
4. यदि एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन मार्च–2017 से पूर्व कराया जाता है, तो माह मार्च–2017 में माह फरवरी–2017 तक के उपभोग के आधार पर एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस का पुनर्निधारण कराया जायेगा और पुनर्निधारण में यदि लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि होती है, तो तदनुसार वृद्धि की धनराशि जमा करायी जायेगी, किन्तु पूर्व में निर्धारित लाइसेंस फीस में कोई कमी नहीं की जायेगी।

(ङ) बीयर की थोक आपूर्ति के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण :–

1. वर्ष 2016–17 के लिये व्यवस्थित बीयर की थोक आपूर्ति के एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु नवीनीकरण के माध्यम से किया जायेगा।
2. बीयर की थोक आपूर्ति के एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त,उ0प्र0 के इलाहाबाद स्थित कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए बीयर के थोक अनुज्ञापन एफ0एल0–2बी की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

क्रम संख्या	अनुज्ञापन वर्ष के ठीक पूर्व के वर्ष में जनपद में बीयर के फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित बीयर की बोतलों (650 एम0एल0) की संख्या	वर्ष 2017–18 हेतु निर्धारित लाइसेन्स फीस(रूपये में)
1	10,00,000 बोतलों तक	4.25 लाख
2	10,00,000 से अधिक 20,00,000 बोतल तक	8.50 लाख
3	20,00,000 से अधिक 30,00,000 बोतल तक	12.75 लाख
4	30,00,000 से अधिक 40,00,000 बोतल तक	16.95 लाख
5	40,00,000 से अधिक 50,00,000 बोतल तक	21.20 लाख
6	50,00,000 बोतल से अधिक	25.45 लाख

स्पष्टीकरण :–

1. उपरोक्तानुसार उपभोग का आगणन मुख्यालय में उपलब्ध अन्तिम मास तक के उपभोग विवरण के आधार पर किया जायेगा।
2. अनुज्ञापन वर्ष का तात्पर्य उस वर्ष से है, जिस वित्तीय वर्ष के लिये अनुज्ञापन दिया गया है।
3. अनुज्ञापन वर्ष के ठीक पूर्व के वर्ष का तात्पर्य, जिस वित्तीय वर्ष हेतु अनुज्ञापन दिया गया है, उसके ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष से है।
4. यदि एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन मार्च–2017 से पूर्व कराया जाता है, तो माह मार्च–2017 में माह फरवरी–2017 तक के उपभोग के आधार पर एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस का पुनर्निधारण कराया जायेगा और पुनर्निधारण में यदि लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि होती है, तो तदनुसार वृद्धि की धनराशि जमा करायी जायेगी, किन्तु पूर्व में निर्धारित लाइसेंस फीस में कोई कमी नहीं की जायेगी।

(च) भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :–

1. भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
2. भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन उपरोक्तानुसार जनपद स्तर पर किया जायेगा।

(छ) समय सारणी

1. प्रत्येक जोन के सी0एल0–1बी अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु समय सारणी :–

कमांक	विवरण	तिथि
1.	विज्ञप्ति प्रकाशन	02.12.2016
2.	समस्त संलग्नकों के साथ नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि व समय	06.12.2016 को 14.00 बजे तक
3.	जोन वार आवेदनों का परीक्षण कर अनुज्ञापनों का नवीनीकरण	06.12.2016 को 16.00 बजे तक

2. सी0एल0–1सी अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु समय सारणी :–

1) सी0एल0–1बी अनुज्ञापी को दिनांक **07.12.2016** से **10.12.2016** तक जोन के प्रत्येक जनपद हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि अदा करके सी0एल0–1सी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।

3. एफ0एल0–2/2बी अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु समय सारणी :–

कमांक	विवरण	तिथि
1.	विज्ञप्ति प्रकाशन	02.12.2016
2.	आवेदन करने की अंतिम तिथि	08.12.2016 को 18.00 बजे तक
3.	अनुज्ञापन नवीनीकरण की तिथि	03.12.2016 से 10.12.2016 तक

4. भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी हेतु समय सारणीः–

कमांक	विवरण	तिथि
1.	प्रदेश की समस्त भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी	23.12.2016
2.	प्रथम नीलामी के बाद यदि दुकाने व्यवस्थित होने से शेष रह जाती है तो जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी स्वविवेक से तिथि निर्धारित कर नियमानुसार व्यवस्थापन करायेंगे	

5. **विशिष्ट मेरठ जोन के अलावा शेष आगरा, वाराणसी, गोरखपुर एवं लखनऊ जोन (बरेली प्रभार को छोड़कर) फुटकर बिक्री की दुकानों के व्यवस्थापन की समय सारणी :–**

कमांक	प्रथम चरण	तिथि
1(i)	वर्ष 2017–18 हेतु आबकारी नीति में दिये गये निर्देशानुसार वार्षिक व्यवस्थित व तद आधारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि में वृद्वि कर देशी शराब की दुकानों की प्रास्थिति, वार्षिक व्यवस्थित (तद आधारित) न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (निर्धारित वृद्वि के साथ) बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, नवीनीकरण फीस व प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	02.12.2016
(ii)	उपरोक्तानुसार ही विदेशी मदिरा तथा बीयर की दुकानों व माडल शाप्स की लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि एवं नवीनीकरण फीस का विवरण तैयार किया जाना।	02.12.2016
(iii)	उपरोक्त समस्त दुकानों के नवीनीकरण हेतु **आवेदन पत्रों का वितरण दिनांक 04.12.2016 से दिनांक 08.12.2016 को अपरान्ह 13.00 बजे तक** करने के संबंध में एवं भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी हेतु समाचार पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन	03.12.2016
(iv)	**नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि**	08.12.2016 को 16.00 बजे तक
(v)	**जिलाधिकारी द्वारा नवीनीकरण आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर करते हुये दुकानों के नवीनीकरण करने की अंतिम तिथि**	10.12.2016 को 18.00 बजे तक
	द्वितीय चरण	
2(i)	उपरोक्तानुसार नवीनीकरण के पश्चात अवशेष देशी /विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स तथा देशी शराब/विदेशी मदिरा, बीयर की नवसृजित दुकानों एवं नवसृजित माडल शाप्स के लिए वर्ष 2017–18 हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/ निर्धारित लाइसेंस फीस पर व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी प्रकिया से आवेदन पत्र मांग कर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के संबंध में देशी शराब के प्रकरण में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, तद आधारित बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स के संबंध में लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि को अंकित करते हुए आवेदन पत्र मांगने एवं लाटरी हेतु **आवेदन पत्रों का वितरण दिनांक 11.12.2016 से प्रारम्भ कर दिनांक 14.12.2016 को अपरान्ह 14.00 बजे तक** करने एवं उसी दिन सायं 17.00 बजे तक जमा करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन।	10.12.2016
(ii)	आवेदन पत्रों का वितरण	11.12.2016 से 14.12.2016 को 14.00 बजे तक
(iii)	**आवेदन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि**	14.12.2016 को 17.00 बजे तक
(iv)	आवेदन पत्रों का परीक्षण	15.12.2016
(v)	सार्वजनिक लाटरी	16.12.2016 को 11.00 बजे से

	तृतीय चरण	
3(i)	उक्त प्रक्रिया के पश्चात अवशेष रही देशी शराब की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2016–17 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. पर आधारित बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स की वर्ष 2015–16 की लाइसेंस फीस पर आफर मांगकर व्यवस्थापन हेतु विज्ञप्ति	16.12.2016
(ii)	आवेदन पत्रों का वितरण।	17.12.2016 से 20.12.2016 को 12.00 बजे तक
(iii)	**आवेदन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि**	20.12.2016 को 14.00 बजे तक
(iv)	आवेदन पत्रों का परीक्षण	21.12.2016
(v)	आफर के आधार पर अनुज्ञापी का चयन/सार्वजनिक लाटरी	22.12.2016 को 11.00 बजे से
(vi)	तृतीय चरण के पश्चात् यदि दुकानें व्यवस्थित होने से शेष रह जाती है तो जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी स्वविवेक से तिथि निर्धारित कर नियमानुसार व्यवस्थापन करायेंगे।	———
(vii)	दैनिक आधार पर दिनांक 01–04–2017 से दुकानों के संचालन हेतु व्यवस्थापन की कार्यवाही	30.03.2017

6. **विशिष्ट मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के व्यवस्थापन हेतु समय सारणीः–**

क्रमांक	विवरण	तिथि
1(i)	वर्ष 2017–18 हेतु आबकारी नीति में दिये गये निर्देशानुसार देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल शाप्स (नवसृजित दुकानों सहित) की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि, धरोहर धनराशि एवं नवीनीकरण शुल्क का विवरण तैयार किया जाना।	02.12.2016
(ii)	अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त के समक्ष फुटकर बिक्री की दुकानों (नवसृजित दुकानों सहित) के संचालन संबंधी एकान्तिक विशेषाधिकार के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	06.12.2016 को 15.00 बजे तक
(iii)	एकान्तिक विशेषाधिकार का नवीनीकरण	06.12.2016 को 17.00 बजे तक
(iv)	जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा वर्तमान दुकानों के नवीनीकरण तथा नवसृजित दुकानों के लाइसेंस स्वीकृति की अंतिम तिथि	09.12.2016 को 17.00 बजे तक

नोटः– 1–यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके बावजूद संबंधित तिथि के लिये निर्धारित कार्य यथावत सम्पादित किये जायेंगे।

2–उपरोक्त विज्ञप्ति तथा वर्ष 2017–18 की आबकारी नीति का विस्तृत विवरण विभागीय वेवसाइट **www.upexcise.in** पर देखा जा सकता है।

30.11.16

(भवनाथ)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।